संख्या-6/2023/I/295893/2023/फाइल नं0-86-01002(099)/1/2023

प्रेषक,

विपिन कुमार जैन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2023

विषयःचालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के तृतीय तल पर स्थित यूनीफाईड रेवन्यू कमाण्ड सेन्टर के विस्तार एवं जीर्णोद्धार के साथ ही बी.आर.बी. /बी.आर.एफ.ए.सी. अन्य सम्बन्धित विधाओं के कर्मियों के बैठने की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-3368/2022-23 लघु निर्माण मानक मद 25 दिनांक 24.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के तृतीय तल पर स्थित यूनीफाईड रेवन्यू कमाण्ड सेन्टर के विस्तार एवं जीर्णोद्धार के साथ ही बी.आर.बी. /बी.आर.एफ.ए.सी. अन्य सम्बन्धित विधाओं के कर्मियों के बैठने की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यों के लिये परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई-14 यू०पी० प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा तैयार किये गये रू0-89.99 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुये उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने एवं उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के तृतीय तल पर स्थित यूनीफाईड रेवन्यू कमाण्ड सेन्टर के विस्तार एवं जीर्णोद्धार के साथ ही बी.आर.बी./बी.आर.एफ.ए.सी. अन्य सम्बन्धित विधाओं के कर्मियों के बैठने की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु यू०पी० प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये शासन स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति की दिनांक 17.03.2023 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में उक्त कार्य हेतु रू0 63.03 लाख (रूपये तिरसठ लाख तीन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति सहित रू0 63.03 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(i). प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर द्वारा निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा, एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

(ii). योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0 इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii). वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 एवं संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04.11.2022 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-31/2022/वी-2-325/दस-2022-244/2022 दिनांक 14.12.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv). आगणन में निर्धारित लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(v). सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(vi). प्रायोजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कर कराया जायेगा।

(vii). नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य कराया जायेगा।

(viii). प्रायोजना का गठन उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के SOR वर्ष 2020-21 (जनपद-लखनऊ के दिनांक 18.09.2020) तथा DSR वर्ष 2021 के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। तद्नुसार लागत का परीक्षण किया गया है।

(ix). प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किया जायेगा।

(x). प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(xi) आगणन में उल्लिखित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत माना गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे:-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(xii). प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में न ही किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(xiii) प्रायोजनान्तर्गत ऐसी मदें जो बाजार आधारित दरों या अन्य स्रोतों पर आधारित हैं, उनके सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम् प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराया जाय।

(xiv) फर्नीचर/उपकरण पर सेंटेज चार्ज अनुमन्य नहीं है।

(xv). यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का समस्त दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xvi). प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xvii). यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(xviii). परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xix). कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज आर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xx). शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था तथा निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxi). प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

3. उपर्युक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के लेखाशीर्ष-4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था-25-लघु निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-E-6-259-X-2022-23 दिनांक 26 मार्च,2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नकः-मूल्यांकित लागत का विवरण</u>।

भवदीय,
विपिन कुमार जैन
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
विपिन कुमार जैन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in